न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 34 / 2025

1. बद्रीप्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. महेन्द्र पुत्र मागराज जाति जाट निवासी 14 एचएमएच झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरण आदेश क्रमांक 1020 दिनांक 04.07.2025 जिसकी रूह से अपीलांट की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 138 / 279 (28) किला नम्बर 3, 4, 5 में खाला का नामान्तरण दर्ज किया गया। बमुराद मंसूखी आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थित:— 1. श्री राजेश दीप राय अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री देवदत्त भिडासरा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2।
3. श्री शिवराज सिंह वराड़ राजकिय अधिवक्ता।

—:निर्णय:—

दिनांक:—27.10.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट की कृषि भूमि चक 14 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 138 / 279 (28) किला नम्बर 3 / 1 / .063, 3 / 3 / .188, 4 / 1 / .234, 5 / 3 / .209 राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है, लेकिन रेस्पोडेंट ने दिनांक 04.07.2024 को पत्थर नम्बर 138 / 279 (28) किला नम्बर 3 / 4 में .0060 हैक्टेयर व किला नम्बर 3 / 6 में .019 हैक्टेयर व किला नम्बर 4 / 3 में .025 हैक्टेयर व किला नम्बर 5 / 4 में .025 हैक्टेयर खाला का नामान्तरण स्वीकृत किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट की खातदोरी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना व सुने बिना प्रश्नगत भूमि को खाला का नामान्तरण दर्ज किया है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट ने अपीलांट को कोई सूचना सम्प्रेषित नहीं की व ना ही अपीलांट को पक्षकार बनाया। आक्षेपित स्वीकृत नामान्तरण अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है। आक्षेपित स्वीकृत नामान्तरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। आक्षेपित स्वीकृत नामान्तरण में स्वीकृत करने का आधार मुताबिक न्यायालय के आदेश होने का उल्लेख है। जबकि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि में खाला का नामान्तरण दर्ज करने का कोई आदेश नहीं है। पटवारी हल्का ने अपने आन्तरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिथ्या रिपोर्ट की है तथा रेस्पोडेंट ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नामान्तरण स्वीकृत किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट की खातेदारी भूमि में रेस्पोडेंट को खाला का नामान्तरण स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था। मौके पर अपीलांट की खातेदारी भूमि में कोई खाला न तो चला व ना ही कभी स्वीकृत हुआ। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित स्वीकृत नामान्तरण आदेश क्रमांक 1020 दिनांक 04.07.2025 को अपास्त फरमाया जावे।।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से अभिभाषक श्री देवदत भिडासरा उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित स्वीकृत नामान्तरण आदेश क्रमांक 1020 दिनांक 04.07.2025 को अपास्त फरमाया जावे। बहस में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—1.RRT 2022(1) Page 102

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किये की अपीलांट बद्रीप्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने श्रीमान् न्यायालय में उपरोक्त अनवानी अपील तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 1020 दिनांक 04.07.2025 के विरुद्ध बतौर तृतीय पक्षकार धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र के साथ प्रस्तुत की। प्रार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ में वाद अनवानी महेन्द्रपाल बनाम जयप्रकाश आदि वाद सं. 483/2024 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की भूमि चक 15 एच.एम.एच. प.नं. 138/278 मु.नं. 19 किला नं. 21, 22, 23 में 0.759 हैक्टेयर व प.नं. 138/279 (28) किला नं. 3/2/0.0020, 4/2/0.0190, 5/2/0.0190 कुल 0.040 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद में प्रतिवादीगण जयप्रकाश, बद्रीप्रसाद, महेन्द्र पुत्रगण पृथ्वीराज जाति जाट निवासी कोहला के विरूद्ध अपनी भूमि में नाजायज दखलन्दाजी न करने हेतु अनुतोष चाहा, न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 11.06.25 को डिक्री करके प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। निर्णय दिनांक 11.06.2025 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में अपील सं. 285/2025 बद्रीप्रसाद बनाम महेन्द्र पाल प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज कर दिया। प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि अपीलांट बद्रीप्रसाद के पिता पृथ्वीराज से दिनांक 10.4.96 को खरीद की थी, खरीद के समय पृथ्वीराज ने दिनांक 10.4.96 को ही अपनी भूमि में स्थित खाला के पास पास भूमि का कब्जा सौंप दिया था। अपीलांट की भूमि चक 14 एच.एम.एच. के प.नं. 139/279 से प.नं. 137/279 के किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 प्रत्येक में खाला स्वीकृत है व उक्त खाला मौका पर चालू है व सिंचाई विभाग के चक प्लान में भी दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण प्रार्थी ने दिनांक 27.11.24 को उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष उक्त खाला रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया व उक्त आवेदन पर सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ ने चक 14 एच.एम.एच. प.नं. 138/279 से 137/279 के किला नं. 1 ता 5 में जलमार्ग स्वीकृत होना व मौका पर जांच में चालू होना पाया। उक्त जांच रिर्पोट पर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 732 दिनांक 25.06.25 के द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ को चक 14 एच.एम.एच. के प.नं. 138/279 (28) किला नं. 1 ता 5 में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन खाला दर्ज करने आदेश दिया व उक्त आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 1020 दर्ज किया है, जिसको अपीलांट ने अपील में चुनौती दी है। अपीलाधीन नामान्तरण प्रार्थी के आवेदन पत्र पर दर्ज किया गया है, उक्त स्वीकृत खाला से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु सुविधा प्राप्त हो रही है। बहस में निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए उक्त विवादित भूमि में अपीलांट्स को प्रभावित पक्षकार होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:-

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा पत्थर नम्बर 138/279 (28) किला नम्बर 3/4 में .0060 हैक्टेयर व किला नम्बर 3/6 में .019 हैक्टेयर व किला नम्बर 4/3 में .025 हैक्टेयर व किला नम्बर 5/4 में .025 हैक्टेयर खाला का नामान्तरण संख्या 1020 दिनांक 02.07.2025 स्वीकृत किया गया।
2. उक्त नामान्तरण न्यायालय सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ में वाद सं. 483/2024 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट अनवानी महेन्द्रपाल बनाम जयप्रकाश आदि निर्णय दिनांक 11.06.2025 एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के पत्रांक क्रमांक राजस्व/2023/732 दिनांक 25.06.2025 की पालना में दर्ज किया गया है।
3. न्यायालय सहायक कलेक्टर के निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरण की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेरी विनम्र राय में इस न्यायालय को नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट हकों का निर्धारण/घोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़